



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)



प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail: nulmup@gmail.com website: www.sudaup.org

पत्रांक- 533/241/NULM/तीन/2001(EST&P)Vol-III
सेवा में,

दिनांक 19/7/16

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
डूडा, उ०प्र०।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ०प्र०।

विषय: EST&P के अन्तर्गत STP को द्वितीय किश्त भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

DAY-NULM के घटक EST&P के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (STP) को भुगतान किये जाने वाली लागत में 80%(30%+50%) प्रशिक्षण लागत है एवं अवशेष 20% प्लेसमेंट के साथ 12 माह तक ट्रेकिंग किये जाने की लागत है।

अतः उपरोक्तानुसार 80% प्रशिक्षण लागत के सापेक्ष STP को प्रथम किश्त 80% का 30% (15 दिन की अटेन्डेंस में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की अनिवार्य रूप से 10 दिन की अटेन्डेंस के उपरान्त देय होगा) और द्वितीय किश्त असेसमेंट के पश्चात बैचवार आगड़न में बैच के अन्तर्गत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की लागत का 80% में से बैच के लिए पूर्व भुगतानित धनराशि (30%) एवं रू० 800/- प्रति प्रशिक्षार्थी असेसमेंट लागत की धनराशि को घटाकर अवशेष धनराशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

STP द्वारा अनिवार्य रूप से MIS पर प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के पश्चात ही द्वितीय किश्त जारी की जायेगी। STP को दी जाने वाली प्रथम किश्त (80% का 30%) से असेसमेंट लागत प्रति प्रशिक्षणार्थी रू० 800 काट कर भुगतान किया जाने के पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके हैं। प्रथम किश्त से प्रति प्रशिक्षणार्थी रू० 800 की रोकी गई धनराशि से असेसिंग बाडी को ससमय भुगतान किया जायेगा।

अन्तिम एवं तृतीय किश्त कुल प्रशिक्षण लागत का अवशेष 20% धनराशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट एवं 12 माह की ट्रेकिंग के पश्चात किया जायेगा। अतः शहरों द्वारा SULM से द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु पत्र में संलग्न प्रारूप पर धनराशि की मांग प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भुवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा उ०प्र०।
3. समस्त सिटी मिशन मैनेजर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०।
4. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

